Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

नवनीत सिंह बनाम **जिला परिषद चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **003** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील श्री नवनीत सिंह पिता रामवीर सिंह निवासी **AEN (M.T.) AVVNL NAKA MADAR, 220 KV GSS Opposite, Ajmer Pin 305007 Mob. 8209106327** द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील विरूद्ध राज्य जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 के संबंध में जिला परिषद चितौडगढ द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने अपील मेमों एवं संलग्न अनुलग्नक का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन–पत्र से जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनायें चाही गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करने की क्षेत्राधिकारिता रखता है। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ तथा अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ हैं। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय का प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलार्थी का क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर लोक सूचना अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील एडमिशन के स्तर निस्तारित की जाती है। दर्ज रजिस्टर किया जावें। अहकाम की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को निःशुल्क सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.) 21.02.2022	